न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय नागौर
बईजलास– बृजेन्द्र मीना आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्याः– 01/2019

वादीः–

लालूराम पुत्र स्व.श्री मेहराजराम जाति जाट निवासी डेरवा तहसील व जिला नागौर, राज0

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. केसर देवी पुत्री स्व. श्री मेहराज राम पत्नि श्री पीरा राम जाति जाट निवासी जोशीयाद तहसील व जिला नागौर।

2. मोडाराम पुत्र स्व. श्री मेहराज राम जाति जाट निवासी डेरवा तहसील व जिला नागौर

3. राज्य जरिये तहसीलदार नागौर।

वाद बाबत घोषणा खातेदारी

उपस्थिति– 1. सतपाल सिंवर एडवोकेट वास्ते वादी
2. लालाराम ज्याणी एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः27.02.19

वादी की और से प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद पेश कर जाहिर किया कि वादी लालूराम एवम प्रतिवादी केशर देवी व प्रतिवादी मोडाराम स्व. मेहराजराम के पुत्रगण व पुत्री है मेहराज राम का दिनांक 28.08.18 को स्वर्गवास हो चुका है। मोडाराम अविवाहित था तथा गत करीब 25 वर्षो से लापता है तथा परिवार की वंशावली पेश की। पक्षकारान के कब्जेकाश्त व खातेदारी के पुश्तेनी खेताय खसरा न. 256 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा न. 257 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा व खसरा न. 282 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा डेरवा व खसरा न. 216/360 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा खारीकर्मसोता रहते चले आये है मेहराजराम के स्वर्गवास के पश्चात म्यूटेशन नहीं हुआ है खेताय के खातेदारी मेहराज राम के नाम दर्ज है पक्षकारान की माता का स्वर्गवास पिता के जीवनकाल में हो चुका है। प्रतिवादी

सहायक कलक्टर (मु.)
नागौर

केशर देवी ने उपरोक्त खेताय में जो हक व हिस्सा था उसके सम्बन्ध में पारिवारिक चल सम्पती लेकर अपना हक व हिस्सा वादी लालूराम के हक में तर्क कर दिया प्रतिवादी केशर देवी अपने ससुराल जोशीयाद में रहते हुए अपने बंटसुदा खेतों पर काबिज रहते हुए काश्त करती आ रही है। विवादितं खेताय पर केशर देवी का कोई कब्जाकाश्त ससुराल जाने के बाद नहीं रहा है। उपरोक्त खेताय का एक मात्र वादी काबिज खातेदार है खेताय की डिक्री वादी ने अपने हक में करने की प्रार्थना की है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी मोडाराम के सम्मन पर रिर्पोट प्राप्त हुई की वह 25 वर्षो से लापता/गुम है प्रतिवादी मोडाराम के सम्मन की तामिल पर्याप्त मानते हुए उसके लापता होने की उपधारणा की गई। प्रतिवादी तहसीलदार का सम्मन बाद तामिल पेश हुआ पेरोकार राज उपस्थित प्रतिवादीनी केशर देवी उपस्थित आई। वादी लालूराम व प्रतिवादीनी केशर देवी की ओर से खेताय के सम्बन्ध में राजीनामा पेश किया गया राजीनामे के अनुसार उपरोक्त विवादित खेताय वादी के बंट में रखे गये है राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

वादी लालूराम के सशपथ बयान लिये गये तथा दस्तावेजी साक्षय में प्रदर्श 1 खतौनी, प्रदर्श 2 खतौनी वाके खारीकर्मसोता, प्रदर्श 3 नक्शा वाके डेरवा, प्रदर्श 4 नक्शा खेत वाके खारीकर्मसोता एवम प्रदर्श 5 ग्राम पंचायत कालडी के सरपंच का प्रमाण पत्र बाबत लापता मोडाराम प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई पक्षकारान की और से प्रस्तुत राजीनामा, प्रस्तुत दस्तावेजात एवम साक्ष्य वादी के आधार पर वाद वादी स्वीकार कर राजीनामा के अनुसार डिक्री करते हुए खेत खसरा न. 256 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, ख.न. 257 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा, खसरा न. 282 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा डेरवा व खेत खसरा न. 216/360 रकबा 40 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा खारीकर्मसोता तहसील नागौर वादी लालूराम की खातेदारी में घोषित किये जाते है, नियमानुसार न्यायालय शुल्क जमा होने पर डिक्री परचा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु.)
नागौर

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (मु.) नागौर मुकाम नागौर

व इजलाश श्री बृजेन्द्र मीना R.A.S

वादी लालुराम बनाम प्रतिवादीगण केसर देवी वगैरह

दावा राजस्व वाद मुकद्दमा 1 | सन् 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू

व हाजरी मिनजानिब मुददई व

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

खेत खसरा नं. 256 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकीन ढाणी, ख.नं. 257 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा, ख नं. 282 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा डेरवा व खेत ख.नं. 216/360 रकबा 50 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा स्वामी कमसीता तहसील नागौर वादी लालुराम को खातेदारी में घोषित किये जाते हैं।

लीज मुबलिक बाबत

खर्चा इस मुकदद में मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें ।

बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 2 सन् 2019

दस्तखत

ओहदा सहायक कलक्टर (मु.) नागौर

मुददई	रुपया	पैसा	मुददयला	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।